न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—797 / 2026
रूपसपुर थाना कांड संख्या—397 / 2026

1. सुमन सहनी पिता लालबाबू सहनी।
साकिन—केरमा, थाना—कुरहनी, जिला—मुजफ्फरपुर।

——— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री शुभम कुमार , विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0 सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

10.07.2026 रूपसपुर थाना कांड संख्या—397 / 2026 धारा—115(2),126(2),117(2),125,76,78,308(2),316(2),318(4),352,351(2),3(5) बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक दिनांक—31.05.2026 से काराधीन है। आवेदक को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचिका पिंकी देवी का कथन है कि पिछले सात—आठ महीना से मेरी जान—पहचान काम करने के बहाने मुकेश सहनी से हुयी। हमलोग के बीच बातचीत हुआ करता था, उसी दरम्यान उसने मेरा प्राईवेट फोटो ले लिया तथा विश्वास में मेरे खाता से लोन उठा लिया था। बाद में बताया कि लोन पूरा हो गया है। मुकेश सहनी मेरा प्राईवेट फोटो के बदले रंगदारी के रूप में पहले तीस हजार रूपया बाद में पचास हजार रूपया की मांग कर रहा है जिसे देने से मैंने इनकार किया तो वह गाली—गलौज तथा फोटो वायरल करने का धमकी देने लगा। एक दिन बैंक वालों का फोन आया तो मुझे पता चला कि लोन मुकेश सहनी ने पूरा नहीं किया है, लोन बाकी है। मुकेश सहनी से मैं इस संबंध में बात करने के लिये उसके दुकान के पास गयी तो मुझे भद्दी—भद्दी गाली देने लगा और मुझे बुरी तरीके से घसीटकर अंदर की ओर खींचा व मुकेश सहनी अपने दो लोगों के साथ मेरे उपर हमला किया। तीनों लोगों ने मेरे उपर लात—घुसा, फैट—मुक्का से मेरे कमर, पेट एवं छाती पर मारपीट किया और घसीटते हुये मुझे बाहर कर दिया। आसपास के लोग जमा हो गये तो मुझे जान बची। मारपीट के क्रम में मेरा कपड़ा फाड़ दिया और मारपीट का वीडियो बनाया। और धमकाकर बोला कि लोन का पैसा भुल जाओ अन्यथा बुरा अंजाम भुगतने को तैयार रहो। फोटो वायरल नहीं करने के बदले पचास हजार रूपया जल्द से जल्द दे दो। मैंने 112 को कॉल किया, पुलिस आयी और सुमन सहनी को थाना लेकर आयी। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—797 / 2026
रूपसपुर थाना कांड संख्या—397 / 2026

लगातार
10.07.2026

सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक / अभियुक्त सुमन सहनी दिनांक—31.05.2026 से काराधीन है। अग्रिम जमानत आवेदन के पैरा—3. में उल्लिखित किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काराधीन अभियुक्त सुमन सहनी को इस शर्त पर जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि इसतरह का अपराध भविष्य में नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।